पी. के. शाजी @थमनाम शाजी

बनाम

केरल राज्य

27 अक्टूबर, 2005

[के. जी. बालाकृष्णन और बी. एन. श्रीकृष्णा, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 439-सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जमानत- मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द करना- अभिनिर्धारितः चूंकि जमानत देने के आदेश ने मजिस्ट्रेट को निर्देशों का पालन करने में आरोपी की विफलता पर उचित आदेश पारित करने का अधिकार दिया, मजिस्ट्रेट का आदेश कानूनी और वैध है।

अपीलार्थी के खिलाफ धारा 120बी और 307 आई. पी. सी. के तहत दर्ज मामले में सत्र न्यायालय द्वारा शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, बशर्ते कि वह पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा। निर्दिष्ट समय और दिनों पर जाँच अधिकारी, जिसमें विफल रहने पर मजिस्ट्रेट उचित कार्रवाई करेंगे जैसे कि शर्तें लगाई गई हों। मजिस्ट्रेट के समक्ष जाँच अधिकारी ने रिपोर्ट की कि अभियुक्त ने शर्तों का पालन नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को नोटिस जारी किया और उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आरोपी की जमानत निरस्त कर दी। आरोपी द्वारा प्रस्तुत रिवीजन याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

अभियुक्त द्वारा दायर अपील में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि जमानत का आदेश सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया था अतः उसे निरस्त करने की शक्ति सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास ही थी, न कि मजिस्ट्रेट को।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

सत्र न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत जमानत दी गई थी। आदेश से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट को किसी भी उल्लंघन के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार दिया गया है। आदेश में लगाई गई शर्तें उपयुक्त थी, जिन्हें पारित करने के लिए उच्चतर न्यायालय इस प्रकार के विशिष्ट निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित, विवादित आदेश कानूनी और वैध है।

गुरदेव सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 क्रिमीनल 103, ए. आई. आर. (2000) एस. सी. 3556 का हवाला दिया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 1476/2005

केरल उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 210/2003 में पारित दिनांकित 26.2.2003 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए मैसर्स लॉयर निट एंड कंपनी के लिए हेरिस बीरन

प्रतिवादी के लिए रमेश बाबू एम. आर.

न्यायालय का निर्णय के. जी. बालाकृष्णन, जे. द्वारा दिया गया था।

अनुमति प्रदान की गई।

अपीलार्थी केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देता है, जिसमें अपीलार्थी धारा 120बी और 307 IPC के तहत अपराधों के लिए डी थ्रिक्कारा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक मामले में शामिल था. उसे कुछ शर्तों के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, जिनमें से एक यह थी कि उसे दो पुख्ता प्रतिभूतियों के साथ 50,000/- का एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा। उसे सभी सोमवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 12.00 दोपहर के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया

था और आगे यह भी निर्देश दिया गया था कि इस उद्देश्य के अलावा वह अगले आदेश तक एर्नाकुलम के सत्र प्रभाग में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि विद्वान मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं करें। अंत में सत्र न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये कि अनुसंधान अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी जमानत आदेश में आरोपित समस्त शर्तों की पालना करें और किसी भी शर्त के उल्लंघन पर वह मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट करें । मजिस्ट्रेट उस परिस्थिति में उपयुक्त कार्यवाही करें, जैसा कि शर्तें उसके स्वयं के द्वारा अधिरोपित की गई हो।

जमानत आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने बंध-पत्र व प्रतिभूमि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की और उसे जमानत पर छोड़ा गया। अनुसंधान अधिकारी ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलार्थी सभी सोमवार व शुक्रवार को उसके समक्ष उपस्थित होने की शर्त की पालना करने में असफल रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से विद्वान मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। उसी से पीड़ित, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने उसी को विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिन मामलों में अदालत द्वारा Cr.P.C की धारा 436 के तहत जमानती अपराधों में जमानत दी जाती है, उसी अदालत को जमानत रद्द करने की शक्ति दी जाती है यदि उपस्थिति के समय और स्थान के संबंध में, जमानत बांड की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है; इसी प्रकार जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत द्वारा धारा 437 Cr.P.C के तहत गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत दी जाती है, तो अदालत को जमानत रद्द करने और निर्देश देने की शक्ति दी जाती है कि जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए।

तत्काल मामले में, सत्र न्यायालय द्वारा धारा 439 Cr.P.C के तहत जमानत दी गई थी। धारा 439 Cr.P.C की उप-धारा 2 विशेष रूप से कहती है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे जमानत पर रिहा किया गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए और धारा 439 Cr.P.C की उप-धारा 2 के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की शक्ति के प्रति प्रतिबद्ध किया जाए। यह बहुत व्यापक है और यह विशेष रूप से कहता है कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 के तहत किसी भी अधीनस्थ अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की शक्ति मिली है।

अपीलार्थी के विद्वत वकील की याचिका यह है कि यदि सत्र न्यायालय ने जमानत दी थी, तो इस तरह की जमानत को रद्द करने का आदेश भी सत्र न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाना चाहिए था, न कि विद्वान मजिस्ट्रेट रद्द करने के लिए सशक्त है। सामान्य तौर पर अपीलार्थी द्वारा उठाई गई बात सच है कि जो अभियुक्त जमानत पर है, उसे जमानत को रद्द करने के आदेश से पहले सुना जाना चाहिए। इस न्यायालय ने गुरदेव सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य (2000) 4 क्राइम्स 103 ए. आई. आर. (2000) एस. सी. 3556 में यह कहा है कि जमानत पर रिहा अभियुक्त को जमानत निरस्त करने से पहले नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, जमानत आदेश में बताई गई अंतिम शर्त के लिए निम्नलिखित प्रभाव था-

"जाँच अधिकारी ईमानदारी से यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता एतद्द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करता है और शर्तों के उल्लंघन, यदि कोई हो, के बारे में विद्वत मजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट करेगा। ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर विद्वान मजिस्ट्रेट

उचित कार्रवाई करेगी, जैसे कि शर्तें उसके द्वारा ही लागू की गई हों और याचिकाकर्ता को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ही जमानत पर रिहा कर दिया गया हो।"

सत्र न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि विद्वत मजिस्ट्रेट को सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार दिया गया है और अपीलार्थी के विद्वत वकील द्वारा उठाई गई उपयुक्त याचिका को पारित करने की शक्तियां दी गई हैं कि जब विद्वत मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, तो सत्र न्यायालय को उस शक्ति को निवेश करने का अधिकार नहीं था। उचित आदेश पारित करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश है जैसे कि जमानत देने की शर्तें स्वयं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई थीं, विवादित आदेश कानूनी और वैध है।

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क कि अपीलार्थी एक अन्य मामले के संबंध में जेल में था और यही कारण है कि वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, यह सच नहीं प्रतीत होता है क्योंकि इस तरह की याचिका अपीलार्थी के विद्वान वकील ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं उठाई गई थी, केवल विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष तर्क दिया गया था कि वह पुलिस के हाथों हमले का शिकार हआ और इसलिए, वह अनुसंधान अधिकारी के समक्ष खुद को उपलब्ध कराने में असफल रहा। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस प्ली को सही ढंग से खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर संशोधन को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

हम विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं और तद्नुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।